न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज0)

अपील संख्या	रजि0 नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/100/2023	2023/524	20.12.2023	17.10.2024

1. प्रभुजीत सिंह पुत्र श्री अजीत सिंह, जाति सिख, निवासी महावीर मार्ग, अलवर हाल निवासी सी–690 बुध विहार, अलवर तहसील व जिला अलवर (राज०) ।

–अपीलान्ट

बनाम

1. तहसीलदार (भू०अ०), अलवर जिला अलवर (राज०)।

– रेस्पाडेन्ट

अपील विरूद्व तहसीलदार (भू0अ0) अलवर निर्णय दिनांक 06.10.2023

उपस्थितः–
01.श्री विनोद कुमार यादव

–वकील अपीलाण्ट

––:: निर्णय ::––

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार अलवर के निर्णय दिनांक 06.10.2023 जिसके द्वारा पत्रावली संख्या 35/2023 बाबत खातेदार लक्ष्मीनारायण शर्मा की वसीयत दिनांक 17.05.2001 के आधर पर अपीलाण्ट के पक्ष में इंतकाल दर्ज करने का प्रार्थना–पत्र खारिज किया गया, से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं अधीनस्थ अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार (भू०अ०) अलवर द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निर्णय दिनांक 06–10–2023 को खारिज फरमाया गया है, किन्तु अपीलान्ट को वक्त निर्णय न तो बुलाया गया न ही सुना गया तथा अपीलान्ट के पीठ पीछे से निर्णय पारित किया गया। जिस निर्णय की अपीलान्ट को जानकारी दिनांक 20.10.2023 को हुई, जिस पर अपीलान्ट ने उसी रोज नकल हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जो नकल दिनांक 20–10–2023 को प्राप्त हुई। इस पर अपीलान्ट ने अपने वकील से कानूनी सलाह मशवरा किया तथा वकील ने अपील पेश करने की सलाह दी, किन्तु इसके बाद अचानक वकील साहब को किसी अत्यावश्यक कार्य से बाहर जाना पड़ गया तथा अब वकील साहब ने अपील तैयार करवाई, जो आज बिना देरी के प्रस्तुत है। इसलिए विलंब का समय नेकनियति पर आधारित होने से माफ किए जाने व अपील अंदर मियाद स्वीकार किए जाने योग्य है। जिस हेतु अलग से प्रार्थना पत्र जेर दफा 5 मियाद अधिनियम पेश है। मिन अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि खातेदार श्री लक्ष्मीनारायण शर्मा का स्वर्गवास दिनांक 20–01–2013 को हो गया था, जिन्होनें अपने जीवनकाल में अपनी खरीदशुदा आराजी खसरा नंबर 982 रकबा 10 ऐय, 985 रकबा 37 ऐयर व 986 रकबा 4 ऐयर किता 3 रकबा 51 ऐयर वाके ग्राम धर्मपुरा तहसील व जिला अलवर की वसीयत दिनांक 17–05–2001 को प्रार्थी के पक्ष में की थी, जो श्री लक्ष्मीनारायण के मरणोपरांत प्रभाव में आ चुकी है तथा अपीलांट उक्त आराजी पर काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है तथा किसी अन्य का उक्त आराजी से कोई संबंध सरोकार किसी तरह का नहीं है। इसलिए उक्त वसीयत के आधार पर प्रार्थी के पक्ष में उक्त आराजी का इन्तकाल दर्ज कराया जाकर स्वीकार फरमाया जावे। उपरोक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रार्थी ने गवाह सुनील शर्मा एवं विकास मलिक को तहत न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया, जिन्होनें जर्ये शपथ पत्र अपने बयान दर्ज कराये। गवाहों द्वारा जर्ये

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

शपथ पत्र बयान किया कि एक वसीयत दिनांक 17–05–2001 को श्री लक्ष्मीनारायण शर्मा पुत्र श्री मदन गोपाल शर्मा निवासी मालन की गली, अलवर ने प्रार्थी के पक्ष में लिखी थी जो मेरे समक्ष लिखाई गई तथा वह दोनों पक्षों को व्यक्तिगत रूप से जानता है तथा यह वसीयतनामा लक्ष्मीनारायण शर्मा ने अपने पूर्ण होश–हवास में प्रभुजीत सिंह के पक्ष में की थी। उक्त आराजी पर कोई दावा व वाद–विवाद लम्बित नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने मृत्यु प्रमाण पत्र, जो दिल्ली नगर निगम द्वारा जारी किया गया था, में वसीयतकर्ता मृतक लक्ष्मीनारायण की मृत्यु दिनांक 20–01–2013 दर्ज होना पाया। मृत्यु स्थान पर आर–जैड सी–25, राजीव विहार, न्यू अनाज मण्डी, नफजगढ एनडी–43 होना अंकित है। तहसीलदार नजफगढ़ (दिल्ली) को वसीयतकर्ता लक्ष्मीनारायण शर्मा के विधि एक वारिसान की जांच रिपोर्ट हेतु पत्र लिखा गया। तहसीलदार नजफगढ़ (दिल्ली) द्वारा अपने पत्र दिनांक 19–06–2023 के माध्यम से संबंधित पटवारी हल्का की जांच रिपोर्ट भिजवाई गई जिसे शामिल पत्रावली किया गया, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट का प्रार्थना पत्र बिना किसी विधिक आधार के गलत व मनमाने तरीके से वसीयत को विवादित मानते हुए खारिज कर दिया। आलोच्य निर्णय में तहत न्यायालय ने स्व० श्री लक्ष्मी नारायण की वसीयत को विवादित बताते हुए अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज किया है, जबकि वसीयत के संबंध में किसी भी न्यायालय में कोई वाद विचाराधीन नहीं है। आपत्तिकर्ता द्वारा वसीयत को फर्जी व कूटरचित बताया जाने का जहां तक प्रश्न है उस बाबत किसी तरह की कोई एफआईआर या फौजदारी कानूनी कार्यवाही किसी भी न्यायालय अथवा पुलिस में नहीं की गई है न ही पत्रावली पर इस तरह की कोई साक्ष्य आया है। ऐसी सूरत में वसीयत को विवादित मानने का कोई विधिक आधार नहीं था ना है। किन्तु महज आपत्ति को आधार बनाकर प्रार्थना पत्र खारिज करना सरासर गलत एवं विधि विरूद्ध है। आराजी वसीयतकर्ता लक्ष्मीनारायण की रजिस्टर्ड बयनामा द्वारा खरीदशुदा थी, ऐसी स्थिति में वसीयतकर्ता को अपनी स्वअर्जित संपत्ति की वसीयत किसी के भी पक्ष में करने का पूरा अधिकार था। वसीयत के गवाहों ने जर्ये शपथ पत्र वसीयत का सही होना साबित किया है। वसीयत का कानूनन पंजीकृत होना आवश्यक नहीं है। ऐसी स्थिति में वसीयत अपंजीकृत हो तो भी वह कानूनन मान्य है। यद्यपि वसीयत नोटेरी पब्लिक से तस्दीकशुदा है। आलोच्य निर्णय में तहत न्यायालय ने तहसीलदार नजफगढ दिल्ली से प्राप्त वारिसान की जांच रिपोर्ट को अस्पष्ट बताया गया है और उस आधार पर संदेह प्रतीत होना अंकित किया गया है, जिसका भी कोई आधार नहीं है। क्योंकि तहत न्यायालय को केवल यह देखना था कि आया वसीयत साक्ष्य से साबित है अथवा नहीं और वसीयतकर्ता को वसीयत करने का विधिक अधिकार था अथवा नहीं तथा ये दोनों ही बातें पत्रावली पर बखूबी साक्ष्य से साबित थी। ऐसी स्थिति में अपीलांट का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वसीयत के आधार पर अपीलांट के पक्ष में इंतकाल दर्ज कर स्वीकृत करने का आदेश पारित किया जाना चाहिये था किन्तु तहत न्यायालय ने कतई गौर नहीं किया। आपत्तिकर्ता ने आपत्ति दर्ज की है कि मृतक स्व० लक्ष्मीनारायण द्वारा अपने जीवनकाल में अपनी संपत्तियों के संबंध में लिख कर जा चुके हैं किन्तु क्या दस्तावेज लिखा गया, कब लिखा गया, कुछ भी स्पष्ट अंकित नहीं किया गया है न ही ऐसी कोई लिखा पढ़ी का दस्तावेज पत्रावली पर आपत्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया है। इतना ही नहीं आपत्तिकर्ता इन्द्रा देवी पत्नि स्व० लक्ष्मीनारायण तो स्वयं तहत न्यायालय के समक्ष उपस्थित ही नहीं हुई। यदि लक्ष्मीनारायण जी द्वारा कोई लिखा पढी अपने जीवनकाल में की गई होती तो निश्चित ही उसे तहत न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत किया जाता। ऐसी स्थिति में महज आपत्ति दर्ज करा देने मात्र से कुछ साबित नहीं हो सकता है। एक तरफ अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वसीयत को गवाहों द्वारा सही साबित किया गया है इसके बावजूद तहत न्यायालय द्वारा अपीलांट का प्रार्थना पत्र स्वीकार होने योग्य होने के बावजूद उसे स्वीकार नहीं किया गया है तो वहीं दूसरी तरफ प्रस्तुत आपत्ति का कोई आधार नहीं होने और आपत्ति कर्ता द्वारा अपने समर्थन में किसी तरह की साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए जाने के बावजूद आपत्ति को आधार बनाकर प्रार्थना पत्र खारिज करना तहत न्यायालय का दोहरा मापदण्ड है। इसलिए आलोच्य निर्णय सरासर विधि विरुद्ध व मनमाना होने के कारण काबिल खारिज है। अतः अपील प्रस्तुत कर

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार (भू०अ०) अलवर (राज०) का आलोच्य निर्णय दिनांक 06–10–2023 निरस्त फरमाया जावे तथा स्व० श्री लक्ष्मीनारायण की वसीयत दिनांक 17–05–2001 के आधार पर अपीलांट के पक्ष में इंतकाल दर्ज कर व स्वीकृत किए जाने की आज्ञा प्रदान की जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। सर्वप्रथम प्रा0पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम पर विचार किया गया। अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.10.2023 के विरूद्व दिनांक 19.12.2023 को पेश की गयी है जो करीब 02 माह 13 दिन के विलम्ब से पेश की गई है। माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर के द्वारा पारित विभिन्न दृष्टांतों के मद्देनजर नरमी का रूख अपनाते हुए अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात बयनामा एवं वसीयतनामा का भी अवलोकन किया गया। विवादित आराजी लक्ष्मीनारायण पुत्र श्री मदनगोपाल जाति ब्राह्मण निवासी मालन की गली अलवर द्वारा मांग्या पुत्र बुद्धा जाति गुर्जर निवासी धर्मपुरा तह0 अलवर से जरिये विक्रय पत्र दिनांक 15.04.1999 को खरीद की, ऐसी स्थिति में वसीयतकर्ता को अपनी स्वअर्जित संपत्ति की वसीयत किसी के भी पक्ष में करने का पूरा अधिकार था। उक्त आराजी मुताबिक वसीयतनामा दि0 17.05.2001 नोटेरीशुदा अपीलांट के हक में किया गया है। प्रकरण में गवाहों द्वारा जर्ये शपथ पत्र बयान किया कि वसीयत दिनांक 17–05–2001 को अपीलांट के पक्ष में लिखी थी जो उनके समक्ष लिखाई गई तथा वह दोनों पक्षों को व्यक्तिगत रूप से जानता है तथा यह वसीयतनामा लक्ष्मीनारायण शर्मा ने अपने पूर्ण होश–हवास में अपीलांट के पक्ष में किया गया है। उक्त आराजी पर कोई दावा व वाद–विवाद लम्बित नहीं है। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मात्र तहसीलदार नजफगढ, दिल्ली से प्राप्त वारिसान की जांच रिपोर्ट को अस्पष्ट एवं संदेहास्पद मानकर अपीलांट का प्रा0पत्र बाबत वसीयतनामा खारिज कर दिया गया। जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की गई वसीयत पर गौर ना करके अन्य बिन्दूओं पर निर्णय पारित किया गया है और ना ही गवाहों के शपथ–पत्रों पर गौर किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलौच्य निर्णय विधिसम्मत नहीं है। अगर वसीयतनामा से किसी दीगर व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह सक्षम न्यायालय से अनुतोष प्राप्त कर सकता है। अपील अपीलांट स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार अलवर का आदेश दिनांक 06.10.2023 को निरस्त किया जाता है तथा आदेशित किया जाता है कि वसीयतनामा दिनांक 17.05.2001 में वर्णित आराजी हिस्से अनुसार अपीलांट के पक्ष में इंतकाल दर्ज व स्वीकार करने की कार्यवाही करें। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को मूल रिकॉर्ड के साथ पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जमा लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 17.10.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

17.10.24

(मुकेश कुमार कायथवाल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राजस्थान)